

फार्म- घ

उपाध्यक्ष,
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण
आजमगढ़

अनाधिकार निर्माण की रिपोर्ट

- 1- कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि
- 2- तिथि जिस दिन पता लगा
- 3- स्थान
- 4- किये जाने वाले निर्माण का विवरण
- 5- निर्माता का नाम
- 6- प्रस्तावित कार्यवाही
- 7- रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पद और उसकी संस्तुति

नोट- जब उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(ख) के अन्तर्गत नोटिस दी जाती है तो नोटिस हस्ताक्षर हेतु एवं नोटिस लेने से टालमटोल की स्थिति में नोटिस चस्पा करने की आज्ञा हेतु संलग्न की जानी चाहिए।

रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमैन) का आदेश

सचिव
कृते उपाध्यक्ष